दिनांक 17–18 दिसम्बर, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

   समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया साथ ही अनुपस्थिति की स्थिति की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का संबंधित तिथि का वेतन अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया।

   अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०/स्थापना

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन एवं सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडलों/जिलों के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अनुपालन नहीं करने वालें जिलों को अनुपालन प्रतिवेदन अचूक रूप से 8वीं तारिख तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने लिए सभी को निदेश दिये गये।

   अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैठक की समीक्षा में अपने–अपने जिला की प्रगति से जिला पदाधिकारी को अवगत करायी जाय। संबंधित लंबित प्रतिवेदन एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय–समय पर जिला स्तरीय बैठक में भाग लेकर वांछित प्रतिवेदन का यथा समय अनुपालन किया जाय।

   अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

5. अगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारी/कर्मियों की समीक्षा कर सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सेवान्त लाभ का ससमय भुगतान हो सके।

   अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

6. संबंधित स्थापना से सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्रीक भी उपलब्ध करायी जाय।

   अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

7. **<u>बजट</u> :–**

   (i) **(क)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह–सितम्बर 2018 का व्यय विवरणी सभी कार्यालयों से प्राप्त है इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समीक्षा में कुछेक जिलों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS से प्राप्त व्यय विवरणी के साथ सत्यापित प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह के 8वीं तारीख तक लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

   अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

   (ख) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

   अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ग) गत बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति कुछेक जिला/प्रमंडल के द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय सहित अपने लेखा एवं रोकड़ का जॉच प्रतिवेदन भी प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्न जिलों के रोकड़पंजी एवं बैंक खातें में उपलब्ध राशि में अन्तर पाये जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया। अन्तर राशि की जॉच कर Reconciliation विवरणी में इसका उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	जिला का नाम	अन्तर राशि (रूपये में)	क्र.सं.	जिला का नाम	अन्तर राशि (रूपये में)
1	पटना	53822=00	2	रोहतास	58417=00
3	भोजपुर	18415=00	4	बक्सर	593=00
5	पूर्णियॉ	78402=00	6	अररिया	18015=00
7	सूपौल	191417=00	8	मधेपुरा	24012=00
9	शिवहर	17165=00	10	पूर्वी चम्पारण	443781=00
11	वैशाली	90031=00	12	नवादा	18006=00
13	लखीसराय	772=00	14	जमई	57404=00
15	बेगुसराय	359033=72	16	बांका	16405=00
17	दरभंगा	216490=50	18	समस्तीपुर	19669=50
19	सिवान	16449=00	20	गोपालगंज	121397=00

(घ) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को बैठक के उपरांत मुख्यालय लौटते ही आवंटित राशि एवं व्यय की समीक्षा करेगें एवं साथ ही वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय योग्य राशि के अतिरिक्त बचत की राशि का प्रत्यार्पण 15 जनवरी 2019 तक निश्चित रूप से करने का निदेश दिया गया कि यदि निर्धारित तिथि तक अतिरिक्त बचत की राशि प्रत्यार्पण नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा की उपलब्ध आवंटन का शतप्रतिशत व्यय आपके स्थापना में किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के बाद आपके स्थापना से राशि प्रत्यार्पित होता है तो आदेश का उल्लंघन मानते हुए आपके सेवापुस्त में प्रविष्टि हेतु कार्रवाई की जायेगी। समीक्षा में यह भी पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा आवंटन की मांग में तारतम्यता नहीं है।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(ii) समीक्षा के क्रम मे नालंदा, पुर्णियॉ, सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगुसराय, बांका, समस्तीपुर, सारण जिला से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बी.टी.सी.–42ए. अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी अंतिम रूप से वांछित प्रतिवेदन 08.01.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/लेखा शाखा/निदेशालय

(iii) विगत वर्षो में समर्पित डी.सी. विपत्रों की लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर, किशनगंज, पू0 चम्पारण एवं मधेपुरा में लंबित रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को AC विपत्रों का समायोजन कराने का निदेश दिया गया। अगर कोई लंबित/असमायोजित DC विपत्र उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से करवा लें, तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा

(iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बैंक खातों में आपके द्वारा चलान के माध्यम से भिन्न–भिन्न वित्तीय वर्षो में जमा की गयी राशि किन–किन मदों की है, का स्पष्ट सूचना मदवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी /बजट शाखा।

8. कृषिः–

(i) भूमि उपयोग विवरणीः– कृषि वर्ष 2017–18 के भूमि उपयोग विवरणी के समीक्षा में दो जिला यथा, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा से अप्राप्त पाया गया, इन जिलों को निदेश गया कि एक सप्ताह के अन्दर लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा

(ii) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः– कृषि वर्ष 2017–18 के गरमा धान 2.0 प्रतिवेदन क्रमशः सुपौल, पूर्णियॉ, अररिया एवं किशनगंज से अप्राप्त है। कृषि वर्ष 2018–19 के भदई मौसम का 1. 0–1.1 क्रमशः पुर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं भागलपुर जिलें का लंबित पाया गया। जिसे एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पुर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं भागलपुर

(iii)(**क**). भदई मकई 2.0 क्रमशः नालंदा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, अररिया, मुंगेर एवं भागलपुर से अप्राप्त है।

(**ख**). भदई धान 2.0 क्रमशः कटिहार, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिला के दो ग्राम का प्रतिवेदन प्राप्त शेष जिला का प्रतिवेदन अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी लंबित प्रतिवेदन निर्धारित तिथि 08.01.2019 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv) कृषि वर्ष 2018–19 के अगहनी मौसम के 1.1 एवं 1.0 क्रमशः भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, किशनगंज, मुंगेर, जमुई, भागलपुर एवं बांका से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर लंबित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(v) राज्य में कृषि वर्ष 2018–19 में "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू है। खरीफ 2018–19 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई को इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। फसल कटनी प्रयोग के आंकड़े को CCE APP के माध्यम से Upload किया जाना है। निदेश है कि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने–अपने जिलें का फसल कटनी प्रयोग के शत्प्रतिशत आंकड़ों को CCE APP पर Upload करना सुनिश्चित करें। भदई मकई का फसल कटनी प्रयोग के संपादित परिशिष्ट 2 एवं 3 के हॉर्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (Excel Sheet में) निदेशालय को अविलंब लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विदित हो कि निदेशालय में लभ्य कराने का अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2018 थी।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vi) **फल सब्जीः**– फल–सब्जी कटनी प्रयोग में सभी लंबित प्रतिवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9. वर्षापातः–

(i) वर्षा के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा0 तक लोड करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक दिन के वर्षापात का आंकड़ों से निदेशक महोदय को अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

(ii) जिलों में अधिष्ठापित AWS का मासिक स्थलीय भौतिक जॉच प्रतिवेदन प्रत्येक अनुवर्ती माह के 8वीं तारिख तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।